



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।
कार्यालय-उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जलछाजन प्रबंधन)
झारखण्ड एग्रीकल्चर एण्ड सोएल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट "जैसमीन"
राज्य स्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची-835303
E-mail. jasminnagri@gmail.com Mob. No.- 9525468729, 9534238642

"समेकित कृषि तकनीक तथा भूमि संरक्षण एवं जलछाजन प्रबंधन" विषय पर पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची, (भूमि संरक्षण निदेशालय) के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्था झारखण्ड एग्रीकल्चर एण्ड सोएल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट "जैसमीन", नगड़ी, राँची में "समेकित कृषि तकनीक तथा भूमि संरक्षण एवं जलछाजन प्रबंधन" विषय पर पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए राँची, खूँटी, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), प० सिंहभूम (चाईबासा), सरायकेला-खरसाँवा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा एवं साहेबगंज, जिला के नव युवक कृषकों / कृषक समूहों / स्वयं सहायता समूह / पानी पंचायत सदस्यों (जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम हो एवं लिखने पढ़ने की योग्य हो) से निम्न तालिका में वर्णित विषयों एवं लक्ष्य के विरुद्ध संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र०	प्रशिक्षण तिथि	सत्रवार एवं जिलावार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
		प्रशिक्षण सत्र-I	प्रशिक्षण सत्र-II	प्रशिक्षण सत्र-III
1	02.09.2024 से 06.09.2024 तक	राँची-25 एवं खूँटी-25	साहेबगंज-25 एवं दुमका-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25
2	08.09.2024 से 12.09.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	साहेबगंज-25 एवं दुमका-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25
3	19.09.2024 से 23.09.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25	जमशेदपुर-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25
4	25.09.2024 से 29.09.2024 तक	पाकुड़-25 एवं गोड्डा-25	चाईबासा-25 एवं दुमका-25	राँची-25 एवं खूँटी-25
5	14.10.2024 से 18.10.2024 तक	जामताड़ा-25 एवं जमशेदपुर-25	चाईबासा-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25	राँची-25 एवं खूँटी-25
6	20.10.2024 से 24.10.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25	गोड्डा-25 एवं चाईबासा-25
7	26.10.2024 से 30.10.2024 तक	राँची-25 एवं खूँटी-25	साहेबगंज-25 एवं दुमका-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25
8	11.11.2024 से 15.11.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	जमशेदपुर-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25	राँची-25 एवं खूँटी-25
9	17.11.2024 से 21.11.2024 तक	पाकुड़-25 एवं गुमला-25	लोहरदगा-25 एवं लातेहार-25	जमशेदपुर-25 एवं चाईबासा-25
10	23.11.2024 से 27.11.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	चाईबासा-25 एवं लातेहार-25	जामताड़ा-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25
11	29.11.2024 से 03.12.2024 तक	पाकुड़-25 एवं गोड्डा-25	जमशेदपुर-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25
12	05.12.2024 से 09.12.2024 तक	राँची-25, खूँटी-25	जामताड़ा-25 एवं जमशेदपुर-25	लोहरदगा-25 एवं साहेबगंज-25
13	11.12.2024 से 15.12.2024 तक	सिमडेगा-25 एवं गुमला-25	जामताड़ा-25 एवं साहेबगंज-25	राँची-25 एवं खूँटी-25
14	17.12.2024 से 21.12.2024 तक	जामताड़ा-25 एवं खूँटी-25	गोड्डा-25 एवं जमशेदपुर-25	पाकुड़-25 एवं सरायकेला-खरसाँवा-25
15	06.01.2025 से 10.01.2025 तक	पाकुड़-25 एवं गोड्डा-25	चाईबासा-25 एवं जमशेदपुर-25	राँची-25 एवं दुमका-25

आवेदन पत्र पर अपने संबंधित जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी / भूमि संरक्षण पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी / जिला उद्यान पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, (आत्मा) / जिला प्रोग्राम मैनेजर / प्रखण्ड प्रोग्राम मैनेजर, जे0एस0एल0 पी0एस / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / ग्राम प्रधान / मुखिया से अनुशंसा प्राप्त करते हुए कार्यालय-उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जलछाजन प्रबंधन), जैसमीन, राज्य स्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची में उपस्थित होंगे।

- नोट:-**
- उक्त प्रशिक्षण पाँच (05) दिवसीय निःशुल्क भोजन सहित आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है।
 - प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रखण्ड मुख्यालय से राज्य स्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची तक आने एवं जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर वास्तविक भाड़ा का यात्रा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
 - प्रशिक्षणार्थी अपना एक पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र (आधारकार्ड / वोटर कार्ड / बैंक पासबुक / पैनकार्ड एवं अन्य पहचान पत्र) की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित साथ लाना अनिवार्य है।

ह०/- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
 (जलछाजन प्रबंधन), जैसमीन,
 राज्य स्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची।